राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1590/2024

सुभाष चन्द माहेश्वरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.04.2024
आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बांदरी का नासिक, जयपुर में कार्यरत है। उनका तर्क है कि रिक्ति वर्ष 2018–19 से 2020–21 की रिव्यू डीपीसी में अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया है और वर्ष 2021–22 की नियमित डीपीसी में अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया है। अपीलार्थी की पदोन्नति व्याख्याता के पद पर हुई थी, परंतु पदोन्नति के संबंध में अपीलार्थी को जानकारी नहीं होने के कारण वो पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका और अपीलार्थी की पदोन्नति का परित्याग मानते हुए अपीलार्थी की पदोन्नति निरस्त मानी गई। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दिये जाने की प्रार्थना की है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि वर्ष 2018–19 से 2020–21 की रिव्यू डीपीसी करके उसे प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाए एवं वर्ष 2021–22 की नियमित पदोन्नति से अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाए।
2. अपीलार्थी उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना

अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)